मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-29/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः अगस्त 21, 2021

विषयः- पी0आई0एल0 (सिविल) सं0 12977/2020 सत्येन्द्र कुमार सिंह, एडवोकेट बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि विषाक्त व अवैध handmade मदिरा मानव जीवन के लिये घातक होती है अवैध मदिरा के निर्माण /व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट सहित भादवि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय के स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जनपदों में उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु जैसी दुःखद घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांकित 29.11.2020 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

डीजी परिपत्र सं0 -54/2013 दि0-27.09.2013
डीजी परिपत्र सं0 -06/2015 दि0-25.01.2015
डीजी परिपत्र सं0 -73/2015 दि0-02.11.2015
डीजी परिपत्र सं0 -44/2016 दि0-20.07.2016
डीजी -सात-एस-4(1)/2015 दिनांक 14.04.2015
डीजी परिपत्र सं0 -42/2020 दि0-29.11.2020

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली जनहानि तथा handmade मदिरा के निर्माण एवं विक्रय को निवारित किये जाने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैं-

> "It is true that few years back also, incidents of manufacture and sale of handmade illicit liquor took place at district-Barabanki and other places resulting in death of persons. The government is required to monitor such incidents rigorously thereby manufacture and sale of handmade illicit liquor may not take place in future. Accordingly, we reiterate the directions given by this court on earlier occasions also. This writ petition is accordingly disposed of with a direction to the state government to issue appropriate guidelines, if not already issued, to see that in future nobody may involve in manufacture and sale of handmade illicit liquor. "

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कच्ची अवैध/विषाक्त/अपमिश्रित मदिरा (handmade मदिरा) के निर्माण विक्रय व व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के अनुसार प्रभावी विधिक कार्यवाही कराते हुये पूर्णतया प्रतिबंधित कराना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में

कच्ची अवैध / विषाक्त / अपमिश्रित मदिरा (handmade मदिरा) के सेवन से समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना न हो सके। जिन थाना प्रभारियों / थानाध्यक्षों के क्षेत्र में कच्ची अवैध / विषाक्त / अपमिश्रित मदिरा (handmade मदिरा) के सेवन से कोई जनहानि /अप्रिय घटना घटित होती है. तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवे, उ0प्र0।

<u>प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।